



एमएसएमई-विकास कार्यालय, करनाल, भारत सरकार, MSME मंत्रालय  
कारीगर **PM Vishwakarma Scheme** का लाभ लेने के लिए

<https://pmvishwakarma.gov.in> पर अपना पंजीकरण करने के लिए अपने नजदीक के CSC से संपर्क करें।

योजना के लाभ		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Identity card / सर्टिफिकेट मिलेगा।</li><li>• Tool kit खरीदने के लिए Rs 15000/- का अनुदान</li><li>• सस्ता कर्जा (Rs 1 लाख पहली बार, Rs 2लाख दूसरी बार)</li><li>• मुफ्त ट्रेनिंग (भत्ते के साथ) व मार्केटिंग सपोर्ट</li></ul>		
लाभार्थी कारीगर		
1. Carpenter (Suthar)	7. Goldsmith (Sonar)	13. Doll & Toy Maker (Traditional)
2. Boat Maker	8. Potter (Kumhaar)	14. Barber (Naai)
3. Armourer	9. Sculptor (Moortikar, Stone carver), Stone breaker	15. Garland maker (Malakar)
4. Blacksmith (Lohar)	10. Cobbler (Charmkar)/ Shoemsmith / Footwear artisan	16. Washerman (Dhobi)
5. Hammer and Toolkit Maker	11. Mason(Rajmistri)	17. Tailor (Darzi)
6. Locksmith	12. Basket/Mat/Broom Maker/ Coir Weaver	18. Fishing Net Maker
योग्यता मापदंड		
<ul style="list-style-type: none"><li>• न्यूनतम आयु 18 वर्ष।</li><li>• पिछले 5 वर्षों में पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि एवं मुद्रा योजना के तहत ऋण नहीं लिया हो।</li><li>• सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।</li></ul>		
अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें: श्री मुकेश वर्मा, सहायक निदेशक (M-9729058308)		
एमएसएमई-विकास कार्यालय, प्लॉट संख्या 11ए, औद्योगिक विकास कॉलोनी, कुंजपुरा रोड, करनाल-132001(हरियाणा)		
0184-2208100, 2208113, <a href="mailto:dcdi-karnal@dcmsme.gov.in">dcdi-karnal@dcmsme.gov.in</a> , <a href="http://www.msmedikarnal.gov.in">www.msmedikarnal.gov.in</a>		